ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 2, March 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

संघात्मक बनाम एकात्मक व्यवस्था: एक तुलनात्मक अध्ययन

Dr. Naveen Tewari

Associate Professor, Dr. Bhim Rao Ambedkar Govt. College, Sriganganagar, Rajasthan, India

सार

भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं

- शक्तियों का विभाजन: संविधान की सातवीं अनुसूची में विषयों की तीन सूचियाँ हैं जो दर्शाती हैं कि सरकार के दो समूहों के बीच शक्ति का विभाजन कैसे किया जाता है।
- लिखित संविधान: भारत का संविधान लिखित है। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को स्पष्ट रूप से लिखा गया है और उस पर विस्तार से चर्चा की गई है।

संविधान की सर्वोच्चता

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता: भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है।
- द्विसदनीय विधायिका: भारतीय संसद अर्थात विधायिका के दो सदन हैं- लोकसभा और राज्यसभा।

एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताएँ

- एकल संविधान: राज्यों के लिए कोई अलग संविधान नहीं हैं। एक सच्चे संघ में, संघ और राज्यों के लिए अलग-अलग संविधान होते हैं।
- राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण: राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का सम्मान करना होता है और वे उन मामलों पर कोई कानून नहीं बना सकते जिन पर पहले से ही केंद्रीय कानून है।
- राज्यसभा राज्य की समानता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है: एक सच्चे संघ में, विधायिका के ऊपरी सदन में गठित इकाइयों या राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है।
- राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर करता है: मौजूदा राज्यों में से नए राज्य बनाकर किसी राज्य की सीमा को बदला जा सकता है।
- एकल नागरिकता: एक सच्चे संघीय राज्य में, नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाती है। हालाँकि, भारत में नागरिकों को एकल नागरिकता, यानी भारतीय नागरिकता या पूरे देश की नागरिकता प्राप्त है।
- एकीकृत न्यायपालिका: भारत में एकीकृत या एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय देश में न्याय का सर्वोच्च न्यायालय है और अन्य सभी अधीनस्थ अदालतें इसके अधीन हैं।
- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा: जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो संघ या केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और राज्य सरकारें उसके पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। राज्य सरकारें अपनी स्वायत्तता खो देती हैं।

परिचय

निम्नलिखित प्रावधानों से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि भारत प्रकृति में संघीय है परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है

- विधायी मामलों में, केंद्रीय संसद बहुत शक्तिशाली है। इसका न केवल संघ सूची और अवशिष्ट शक्तियों पर विशेष नियंत्रण है, बल्कि समवर्ती सूची और राज्य सूची पर भी इसका प्रभुत्व है। देश में कानूनों की एकरूपता के लिए यह जरूरी है.
- प्रशासनिक मामलों में भी केन्द्र सरकार को राज्यों से अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की देखरेख और नियंत्रण में काम करना होगा। राज्यों को अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार करना चाहिए। यह राज्य सरकारों को प्रशासन के उचित संचालन के लिए आवश्यक कदम

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

उठाने का निर्देश देकर नियंत्रित कर सकता है। यदि राज्य ठीक से या संविधान के अनुसार काम करने में विफल रहता है, तो वह अनुच्छेद 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और उसका (राज्य का) प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है।

- वित्तीय मामलों में, भारत के राष्ट्रपति के पास केंद्र और राज्यों के बीच आयकर से अर्जित राजस्व के वितरण में परिवर्तन करने की शक्ति है। केंद्र के पास राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान सहायता देने की भी शक्तियाँ हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत का वित्त आयोग, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, का भी राज्य के वित्त पर नियंत्रण होता है।

सरकारिया आयोग ने भारत में सहकारी संघवाद पर जोर दिया। यह सच है कि भारत में एक मजबूत केंद्र सरकार है लेकिन उसे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दोनों सरकारों को एक-दूसरे की शक्तियों और प्राधिकार का सम्मान करना चाहिए और सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करना चाहिए

एकात्मक तथा संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर

(Akatmak tatha sanghatmak shasan mein antar)

(1) शक्तियों में अंतर
एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियां केंद्रीय सरकार में ही निहित होती है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियां केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण होता है।
(2) सर्वोच्चता में अंतर
एकात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका संप्रभु होती है और अपनी इच्छा अनुसार कानून बना सकती है। और वही संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान सर्वोच्च होता है अतः संप्रभु की इच्छा कानून नहीं हो सकती है।
(3) कानून प्रणाली में अंतर
एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित कानून सर्वोपरि होता है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरे कानून होते हैं।

(4) संविधान के प्रकार में अंतर
एकात्मक राज्यों में संविधान लिखित और अलिखित अथवा कठोर व लचीला किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन वही संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान का कठोर एवं लिखित होना ही आवश्यक होता है।

(5) संविधान के संशोधन में अंतर
एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान का संशोधन व्यवस्थापिका द्वारा साधारण कानून की भांति हो सकता है। लेकिन संघात्मक शासन में संविधान का संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा विशेष परिस्थितियों में होता है।

(6) न्यायपालिका के कार्य में अंतर
एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका का कार्य निर्णायक नहीं होता है वरन् वह यह देखती है कि व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों का पालन तथा क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है अथवा नहीं। वहीं दूसरी ओर संघात्मक शासन प्रणाली में यदि व्यवस्थापिका संविधान की धाराओं के विरुद्ध कानून बनाए तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित करके प्रभावहीन कर सकती है।
(7) क्षेत्र में अंतर
एकात्मक शासन छोटे क्षेत्र वाले देशों के लिए उपयुक्त होती है, जहां पर भाषा एवं संस्कृति की एकता पाई जाती है। वही संघात्मक शासन प्रणाली विशाल देश के लिए उपयुक्त है, जहां पर भाषा व संस्कृति की भिन्नता पाई जाती है।
(8) निरंकुशता
एकात्मक शासन प्रणाली में शासक निरंकुश हो जाता है, चौकी उस पर संविधान द्वारा प्रबंधकों का अभाव होता है। और वही संघात्मक शासन प्रणाली में शासक के अधिकार संविधान द्वारा प्रतिबंधित होते हैं अतः वह निरंकुश नहीं हो सकता है। क्योंकि उस पर निगरानी होती रहती है।
(9) नीति निर्धारण में अंतर
एकात्मक शासन प्रणाली में प्रशासकीय की नीतियों का निर्धारण सरलता से हो सकता है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में इकाइयों के परामर्श के अनुसार नीतियों का निर्धारण होने की व्यवस्था के कारण कार्य में विलंब होता है।
(10) व्यय (लागत) में अंतर

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

एकात्मक शासन प्रणाली में प्रकाशित किए विभागों की संख्या कम होने के कारण काम यही होता है और शासन प्रणाली मितव्ययी होती है। और वही संघात्मक शासन प्रणाली में इकाइयों व संघ सरकार के लिए अलग-अलग प्रशासकीय विभाग होने के कारण शासन प्रणाली अधिक खर्चीली होती है।

(11) इकहरी वह दोहरी नागरिकता का अंतर

एकात्मक शासन में नागरिक एक सरकार के प्रति भक्ति रखते हैं अतएव इस प्रणाली में इकहरी नागरिकता होती है। लेकिन संघात्मक शासन में नागरिक संघ सरकार और अपने राज्य की सरकार दोनों के प्रति उत्तरदाई होता है अतएव इस में दोहरी नागरिकता होती है।

(12) स्थाई हितों की उपेक्षा

एकात्मक शासन प्रणाली में स्थानीय हितों की उपेक्षा की जाती है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में स्थानीय हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

(13) नौकरशाही का आतंक

एकात्मक शासन प्रणाली में सरकारी कर्मचारियों का शासन होता है अर्थात नौकरशाही का आतंक होता है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में नौकरशाही का महत्व नहीं है, वहां पर जनता का शासन होता है।

(14) क्रांति की संभावना

एकात्मक शासन में केंद्र के विरुद्ध क्रांति की संभावना बनी रहती है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में क्रांति की संभावना कम रहती है।

(15) प्रशासकीय इकाईयों में अंतर

एकात्मक शासन प्रणाली में प्रशासकीय की इकाइयां केंद्र पर निर्भर रहती हैं। वह स्वतंत्र नहीं होती हैं। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में प्रशासक की इकाइयां अंतरिक्ष क्षेत्र में पूर्ण रुप से स्वतंत्र होती हैं।

(16) शक्ति प्राप्ति

एकात्मक शासन प्रणाली में सभी इकाइयां केंद्र से ही शक्ति प्राप्त करती। और वही दूसरी ओर संघात्मक शासन प्रणाली में इकाइयों संविधान से शक्ति प्राप्त करती हैं।

समीक्षा (संघात्मक शासन एकात्मक शासन से उत्तम है)

एकात्मक तथा संघात्मक शासन प्रणालियों के अंतर से यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों में संघात्मक शासन प्रणाली उत्तम है। इस शासन प्रणाली में स्थानीय स्वशासन तथा राष्ट्रीय एकता संभव है। इस प्रणाली द्वारा जनता की रूचि स्थानीय मामलों में विशेष रूप से बढ़ जाती हैं। छोटे-छोटे राज्यों की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह प्रणाली बहुत लाभदायक है। इस प्रणाली में संघ सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है। तथा यह शासन प्रणाली बड़े देशों के लिए बहुत उपयुक्त है जिनमें भाषा धर्म जाति नस्ल और संस्कृतियों की विभिन्नता पाई जाती हैं। इसमें आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रगति की संभावनाएं अधिक होती हैं। वस्तुतः संघात्मक शासन प्रणाली विश्व राज्य के लिए एक आदर्श है। संघ सरकार का भविष्य उज्जल है। विश्व में अनेक राज्य संघात्मक शासन को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। यूरोप के लगभग 16 स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्रों के द्वारा यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया है। इन राष्ट्रों की आपस में मिलकर आर्थिक स्थिति अमेरिका से भी कहीं अधिक सुदृढ़ हो गई है। यदि यह प्रयास सफल सिद्ध होता है तो भविष्य में इस शब्द अफ्रीका के राष्ट्रीय दिशा में विचार करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। अतः संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक की तुलना में प्रत्येक दृष्टि से अति उत्तम है।

विचार-विमर्श

एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक कानून का एक मानक सिद्धांत है जो मानता है कि संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के पास संपूर्ण संघीय कार्यकारी शाखा को नियंत्रित करने की शक्ति है। यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद दो में निहित है , जो संयुक्त राज्य अमेरिका की "कार्यकारी शक्ति" राष्ट्रपति में निहित करता है।

यद्यपि उस सामान्य सिद्धांत को कानूनी विद्वानों (लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिकों या सार्वजनिक प्रशासकों के बीच नहीं) के बीच व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, सिद्धांत की ताकत और दायरे के बारे में असहमति है।[1] 2008 में, स्टीवन कैलाब्रेसी और क्रिस्टोफर यू ने एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत को यह सुनिश्चित करने के रूप में वर्णित किया कि "संघीय सरकार कानून को सुसंगत तरीके से और राष्ट्रपति की इच्छाओं के अनुसार निष्पादित करेगी।" यह 2008 में मैकेंजी और 2020 में क्राउच, रोज़ेल और सोलेनबर्गर जैसे अन्य विद्वानों के साहित्य के विपरीत है, जो इस तथ्य पर जोर देता है कि संघीय कर्मचारियों को अमेरिकी संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिनियमित कानूनों को ईमानदारी से निष्पादित करना होगा।

सिद्धान्त

अनुच्छेद ॥ के निहित खंड में प्रावधान है, "[संयुक्त राज्य अमेरिका की] कार्यकारी शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी।" एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि यह भाषा, टेक केयर क्लॉज ("राष्ट्रपति इस बात का ध्यान रखेंगे कि कानूनों को ईमानदारी से निष्पादित किया जाएगा ...") के साथ , "प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत पदानुक्रमित, एकीकृत कार्यकारी विभाग" बनाता है। अध्यक्ष।" [2]

यह सामान्य सिद्धांत कि राष्ट्रपति संपूर्ण कार्यकारी शाखा को नियंत्रित करता है, मूल रूप से अहानिकर था क्योंकि यह समझा जाता था कि राष्ट्रपति कानून को क्रियान्वित करेगा। हालाँकि, सिद्धांत के चरम रूप विकसित हुए हैं जिनमें राष्ट्रपति की इच्छाएँ कानून से अधिक हैं। व्हाइट हाउस के पूर्व वकील जॉन डीन बताते हैं: "अपने सबसे चरम रूप में, एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत का मतलब यह हो सकता है कि न तो कांग्रेस और न ही संघीय अदालतें राष्ट्रपति को बता सकती हैं कि क्या करना है या कैसे करना है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के संबंध में।" [3]

कानून के प्रोफेसर लॉरेंस लेसिग और कैस सनस्टीन के अनुसार , "कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता है कि कुछ अर्थों में निर्माताओं ने एकात्मक कार्यकारी का निर्माण किया; सवाल यह है कि किस अर्थ में। आइए हम एक मजबूत और कमजोर संस्करण के बीच अंतर करें।" [1] अपने मजबूत या कमजोर रूप में, सिद्धांत कार्यकारी शाखा के नियंत्रण को राष्ट्रपति से छीनने की कांग्रेस की शक्ति को सीमित कर देगा। "दृढ़ता से एकात्मक" सिद्धांत "कमजोर एकात्मक" सिद्धांत की तुलना में कांग्रेस पर अधिक कठोर सीमाएं लगाता है। [1] संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएट जस्टिस बनने के लिए अपनी पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान , सैमुअल अलिटो एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत के कमजोर संस्करण का समर्थन करते दिखे। [4]

कुछ विद्वान दो कारणों में से एक के लिए "कमजोर एकात्मक" सिद्धांत का भी विरोध करते हैं। कुछ लोग बहुवचन कार्यपालिका के पक्ष में हैं, और अन्य उस दृष्टिकोण के पक्ष में हैं जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रपति नौकरशाही पर नियंत्रण साझा करते हैं (नीचे संदर्भ देखें)। वे जो बहुवचन कार्यकारिणी बनाने के पक्ष में हैं, जैसा कि कई राज्य सरकारें करती हैं जो अलग से एक अटॉर्नी जनरल का चुनाव करती हैं। [5] हालाँकि, वे विद्वान स्वीकार करते हैं कि संघीय एकात्मक कार्यपालिका को ख़त्म करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। हालाँकि, संविधान में संशोधन पर चर्चा करते समय एकात्मक कार्यकारी वाक्यांश का उपयोग एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत पर चर्चा करते समय की तुलना में अलग तरह से किया जा रहा है। एकात्मक कार्यपालिका बनाम बहुवचन कार्यपालिका पर चर्चा करते समय, वाक्यांश ने केवल यह परिभाषित किया कि कार्यकारी शाखा के कितने सदस्य कार्यालय के लिए चुने गए हैं।

एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत वैचारिक रूप से दो मायनों में एक अलग अवधारणा है। सबसे पहले, यह अमेरिकी राष्ट्रपति पर लागू होता है, अमेरिकी गवर्नरों (राज्य स्तर के अधिकारियों) पर नहीं। दूसरा, एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत संघीय नौकरशाही पर राष्ट्रपति के नियंत्रण (प्रभाव नहीं) के बारे में है। डेविड रोसेनब्लॉम (2001) और फ्रांसिस राउरके (1993) जैसे अन्य विद्वानों ने अपने जॉन गॉस व्याख्यान में तर्क दिया कि कांग्रेस और राष्ट्रपति नौकरशाही पर प्रभाव साझा करते हैं।

दृढ़ता से एकात्मक सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि राष्ट्रपति के पास सभी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं और इसलिए वह कार्यकारी शाखा के अधीनस्थ अधिकारियों और एजेंसियों को नियंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यकारी एजेंसियों या अधिकारियों को राष्ट्रपति के नियंत्रण से हटाने की कांग्रेस की शक्ति सीमित है। इस प्रकार, दृढ़ता से एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत के तहत, स्वतंत्र एजेंसियां और वकील इस हद तक असंवैधानिक हैं कि वे राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित नहीं होने वाली विवेकाधीन कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं। [2] हालाँकि, ऐसी एजेंसियाँ मौजूद हैं और कम से कम एक सदी से मौजूद हैं। ऐसी एजेंसियों के अस्तित्व को अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया है (उदाहरण के लिए हम्फ्रीज़ एक्ज़ीक्यूटर देखें)।

न्यायिक शाखा का निहितार्थ यह है कि कार्यकारी शाखा का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि "कार्यपालिका खुद पर मुकदमा नहीं कर सकती।" यदि संघीय अदालतें कार्यकारी एजेंसियों के बीच विवादों का फैसला करती हैं , तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा । [6]

संवैधानिक प्रावधानों को अपनाना

वाक्यांश "एकात्मक कार्यपालिका" पर 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के आरंभ में चर्चा की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से वर्जीनिया योजना में प्रस्तावित राष्ट्रपति के पद पर एक ही व्यक्ति को भरने का जिक्र था । विकल्प कई अधिकारियों या एक कार्यकारी परिषद का होना था, जैसा कि न्यू जर्सी योजना में प्रस्तावित था और जैसा कि एलब्रिज गेरी , एडमंड रैंडोल्फ और जॉर्ज मेसन द्वारा प्रचारित किया गया था । [7] [8]

1787 में पेंसिल्वेनिया अनुसमर्थन सम्मेलन में, जेम्स विल्सन ने एक ही मुख्य कार्यकारी के फायदों पर जोर दिया, जिसमें अधिक जवाबदेही, जोश, निर्णायकता और जिम्मेदारी शामिल थी:
[टी] वह कार्यकारी प्राधिकारी एक है। इस माध्यम से हमें बहुत महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। हम इतिहास से, तर्क से और अनुभव से उस सुरक्षा की खोज कर सकते हैं जो यह प्रदान करती है। कार्यकारी शक्ति पर तब भरोसा करना बेहतर होता है जब उसमें

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

कोई स्क्रीन न हो। महोदय, हमारे राष्ट्रपति के रूप में हमारी एक जिम्मेदारी है; वह अनुचित तरीके से कार्य नहीं कर सकता है, और अपनी लापरवाही या असावधानी को छिपा नहीं सकता है; वह अपनी आपराधिकता का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाल सकता; उनके नामांकन के बिना कोई नियुक्ति नहीं हो सकती; और वह अपने प्रत्येक नामांकन के लिए जिम्मेदार है। हम शक्ति सुरक्षित रखते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अनेक अधिकारी क्या होते हैं। हम जानते हैं कि उनमें न तो जोश है, न निर्णय, न जिम्मेदारी। इन सबके अलावा, उस अधिकारी को उच्च स्थान पर रखा जाता है, और उसके पास अवमानना से कहीं अधिक शक्ति होती है; फिर भी उसके चरित्र के साथ एक भी विशेषाधिकार जुड़ा नहीं है; कानूनों से ऊपर होने की बजाय, वह एक नागरिक के रूप में अपने निजी चरित्र में और अपने सार्वजनिक चरित्र में महाभियोग द्वारा उनके प्रति उत्तरदायी है। [9]

1788 में, संघीय किसान के छद्मनाम पत्रों ने प्रस्तावित एकात्मक कार्यकारिणी का बचाव करते हुए तर्क दिया कि "एक अकेला व्यक्ति विवेक और निर्णय के साथ, तत्परता और एकरूपता के साथ कानूनों के निष्पादन की देखरेख करने के लिए विशेष रूप से अच्छी स्थिति में प्रतीत होता है।" [10]

इस बीच, जेम्स मैडिसन जैसे संघवादी एकात्मक कार्यपालिका के अतिरिक्त लाभ पर जोर दे रहे थे। फेडरलिस्ट नंबर 51 में, उन्होंने लिखा कि एक अविभाजित कार्यपालिका विधायिका द्वारा अतिक्रमण का विरोध करने की कार्यपालिका की क्षमता को मजबूत करेगी: "चूंकि विधायी प्राधिकार के वजन के लिए आवश्यक है कि इसे इस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए [शाखाओं में], की कमजोरी दूसरी ओर, कार्यपालिका को इसकी आवश्यकता हो सकती है कि इसे मजबूत किया जाए।" [11]

अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने बाद में बताया कि संविधान अलग-अलग तरीकों से कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्ति प्रदान करता है, कांग्रेस की विधायी शक्तियां स्पष्ट रूप से "यहां दी गई" तक ही सीमित हैं, कार्यकारी शक्तियों के विपरीत जो स्पष्ट रूप से एक गणना द्वारा सीमित नहीं हैं। हैमिल्टन ने लिखा:
लेख में जो सरकार की विधायी शक्तियाँ देता है, अभिव्यक्तियाँ हैं "यहाँ दी गई सभी विधायी शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में निहित होंगी।" उसमें जो कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है, अभिव्यक्तियाँ हैं "कार्यकारी शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी।" इसलिए गणना पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल कार्यकारी शक्ति की परिभाषा में निहित प्रमुख लेखों को निर्दिष्ट करना है। ... [12]

दूसरे शब्दों में, एक्सप्रेसियो यूनिस का सिद्धांत कार्यकारी शक्ति की तुलना में कांग्रेस की शक्ति पर एक सीमा के रूप में अधिक लागू हो सकता है। हैमिल्टन के अनुसार, अनगिनत कार्यकारी शक्तियाँ जो पूरी तरह से राष्ट्रपति में निहित हैं, "उस शक्ति के सामान्य अनुदान से उत्पन्न होती हैं, जिसकी व्याख्या संविधान के अन्य भागों और स्वतंत्र सरकार के सिद्धांतों के अनुरूप की जाती है।" [12]

संविधान के अन्य भागों में कांग्रेस को दी गई व्यापक शक्तियाँ शामिल हैं। संविधान का अनुच्छेद । कांग्रेस को कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है, जिसे राष्ट्रपति को निष्पादित करना होगा, बशर्ते कि वे कानून संवैधानिक हों। संविधान का अनुच्छेद ।, धारा 8, खंड 18 जिसे आवश्यक और उचित खंड के रूप में जाना जाता है, कांग्रेस को "सभी कानून बनाने की शक्ति देता है जो संयुक्त राज्य सरकार में इस संविधान द्वारा निहित सभी शक्तियों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक और उचित होंगे।" , या उसके किसी भी विभाग या अधिकारी में"। संविधान कांग्रेस को "सरकार के लिए नियम बनाने और भूमि और नौसेना बलों के विनियमन" की शक्ति भी देता है । एकात्मक कार्यपालिका के किसी भी वैध सिद्धांत को कांग्रेस को अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रपति भी ऐसा कर सकते हैं।

न्यायिक निर्णय

1926 में मायर्स बनाम यूनाइटेड स्टेट्स के मामले में , यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शाखा के अधिकारियों को हटाने की विशेष शक्ति है, और उसे सीनेट या किसी अन्य विधायी निकाय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने यह भी लिखा:
क़ानून द्वारा निर्धारित अधिकारियों के सामान्य कर्तव्य कार्यकारी शक्ति के सामान्य अनुदान के आधार पर राष्ट्रपति के सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, और वह उन क़ानूनों के निर्माण की उचित निगरानी और मार्गदर्शन कर सकते हैं जिनके तहत वे सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। कानूनों का एकात्मक और समान कार्यान्वयन, जो कि संविधान के अनुच्छेद 2 में स्पष्ट रूप से केवल राष्ट्रपति में सामान्य कार्यकारी शक्ति निहित करने पर विचार किया गया है। [13]

इसके बाद के मामले जैसे कि हम्फ्रे के निष्पादक बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (राष्ट्रपति द्वारा कुछ प्रकार के अधिकारियों को हटाना), संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम निक्सन (कार्यकारी विशेषाधिकार), और बोशेर बनाम सिनार (कार्यकारी कार्यों का नियंत्रण) ने सिद्धांत की पहुंच को आगे और पीछे बढ़ाया है। न्यायमूर्ति स्कालिया ने मॉरिसन बनाम ओल्सन मामले में अपनी एकल असहमति में कार्यकारी शाखा की शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों की असीमित राष्ट्रपति पद से हटाने की शक्ति के लिए तर्क दिया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र वकील को शामिल करने का तर्क दिया ; अदालत ने असहमति जताई, लेकिन बाद में एडमंड बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कैलिया की स्थिति के करीब पहुंच गई । [14]

सिद्धांत के सशक्त संस्करण की आलोचना

लोयोला लॉ स्कूल के प्रोफेसर कार्ल मैनहेम और एलन आइड्स लिखते हैं कि "शाखाओं के बीच अलगाव न तो कभी था और न ही कभी ऐसा किया गया था," और वे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को कार्यपालिका द्वारा विधायी शक्ति का प्रयोग करने के उदाहरण के रूप में इंगित करते हैं। वे प्रशासनिक राज्य के आवश्यक तत्वों के रूप में, कार्यकारी शाखा द्वारा प्रयोग की जाने वाली अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक शक्ति के अन्य उदाहरण भी देते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि अंततः सभी प्रशासनिक शक्ति राष्ट्रपति के बजाय कांग्रेस की होती है, और यह एकमात्र सच है। कार्यकारी" शक्तियाँ वे हैं जो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। [15] इस समझ में, मैनहेम और आइड्स लेसिग और सनस्टीन के नक्शेकदम पर चलते हैं। [1]

डेविड जे. बैरन (अब एक संघीय न्यायाधीश) और मार्टी लेडरमैन ने भी एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत के मजबूत संस्करण की आलोचना की है। वे स्वीकार करते हैं कि सशस्त्र बलों के भीतर एकात्मक कार्यपालिका के लिए एक सम्मोहक मामला है। [16] हालांकि, उनका तर्क है कि संविधान सैन्य संदर्भ के बाहर समान रूप से मजबूत एकात्मक कार्यपालिका का प्रावधान नहीं करता है, और उनका तर्क है कि यदि सामान्य संवैधानिक प्रावधान के परिणामस्वरूप समान प्रकार का एकात्मक राष्ट्रपति प्राधिकरण उत्पन्न होता है तो कमांडर इन चीफ क्लॉज अनावश्यक होगा। कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करना। [17]

कई अन्य देशों के आधुनिक संविधानों के विपरीत, जो निर्दिष्ट करते हैं कि आपातकाल की स्थिति कब और कैसे घोषित की जा सकती है और कौन से अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, अमेरिकी संविधान में आपात स्थितियों के लिए कोई व्यापक अलग व्यवस्था शामिल नहीं है। हालाँकि, कुछ कानूनी विद्वानों का मानना है कि संविधान राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों का प्रमुख कमांडर बनाकर या उन्हें एक व्यापक, अपरिभाषित "कार्यकारी शक्ति" प्रदान करके अंतर्निहित आपातकालीन शक्तियाँ देता है। [18] कांग्रेस ने राष्ट्रपति को कम से कम 136 विशिष्ट वैधानिक आपातकालीन शक्तियां सौंपी हैं, जिनमें से प्रत्येक आपातकाल की घोषणा पर उपलब्ध हैं। इनमें से केवल 13 को कांग्रेस से घोषणा की आवश्यकता है; शेष 123 को बिना किसी कांग्रेसी इनपुट के एक कार्यकारी घोषणा द्वारा मान लिया गया है। [19] कांग्रेस द्वारा अधिकृत आपातकालीन राष्ट्रपति शक्तियां व्यापक और नाटकीय हैं और इनमें इंटरनेट पर नियंत्रण हासिल करने से लेकर मार्शल लॉ घोषित करने तक की शक्तियां शामिल हैं। [18] इसने अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक को यह देखने के लिए प्रेरित किया कि "सत्ता को मजबूत करने का प्रयास करने वाले नेताओं के बीच आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग एक मानक जुआ है", [18] क्योंकि, न्यायमूर्ति रॉबर्ट एच. जैक्सन के शब्दों में, कोरेमात्सु में असहमति थी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका , 1944 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जापानी-अमेरिकियों की नजरबंदी को बरकरार रखा , प्रत्येक आपातकालीन शक्ति "एक भरे हुए हथियार की तरह है, जो किसी भी प्राधिकारी के हाथ के लिए तैयार है जो तत्काल आवश्यकता के एक प्रशंसनीय दावे को आगे ला सकती है।" [18]

कुछ लेखकों के दावों के विपरीत, [20] "एकात्मक कार्यकारिणी" का स्पष्ट संदर्भ देने वाला पहला प्रशासन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश का नहीं था । उदाहरण के लिए, 1987 में, रोनाल्ड रीगन ने एक हस्ताक्षरित बयान जारी किया जिसमें घोषणा की गई: "यदि इस प्रावधान की अन्यथा व्याख्या की गई, ताकि राष्ट्रपति को एक अधीनस्थ के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता हो, तो यह स्पष्ट रूप से प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति के अधिकार का असंवैधानिक उल्लंघन होगा।" एकात्मक कार्यकारी शाखा का।" [21]

जॉर्ज डब्लू. बुश प्रशासन ने एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत को बयानों पर हस्ताक्षर करने की एक सामान्य विशेषता बना दिया। [22] उदाहरण के लिए, बुश ने एक बार एक हस्ताक्षरित बयान में लिखा था कि वह, "एकात्मक कार्यकारी शाखा की निगरानी के लिए राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार के अनुरूप तरीके से, बंदियों से संबंधित अधिनियम के डिवीजन ए में शीर्षक एक्स का अर्थ लगाएंगे और कमांडर इन चीफ के रूप में और न्यायिक शक्ति पर संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप।" [23] आलोचक स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रपति के कर्तव्य का एक हिस्सा "यह व्याख्या करना है कि संवैधानिक क्या है, और क्या नहीं है, कम से कम कार्यकारी एजेंसियों के कार्यों की निगरानी करते समय," लेकिन आलोचकों ने बुश पर अमेरिकी अदालतों को खारिज करने की उनकी कथित इच्छा से उस कर्तव्य को खत्म करने का आरोप लगाया। . [24]

राज्यों में

कई राज्यों में बहुवचन कार्यकारी मौजूद हैं, जहां संघीय सरकार के विपरीत, कार्यकारी अधिकारी जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर , अटॉर्नी जनरल , नियंत्रक , राज्य सचिव और अन्य, राज्य के राज्यपाल से स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं । टेक्सन राज्य सरकार की कार्यकारी शाखा इस प्रकार की कार्यकारी संरचना का एक उदाहरण है।

उत्तरी कैरोलिना राज्य एक बहुवचन कार्यकारिणी रखता है जिससे मुख्य कार्यकारी के कार्यों पर अन्य निर्वाचित कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है। उत्तरी कैरोलिना के कार्यकारी अधिकारियों के समूह को उत्तरी कैरोलिना काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जाना जाता है और राज्य सरकार द्वारा मौद्रिक और संपत्ति लेनदेन को मंजूरी देते समय इसके पास उचित मात्रा में वैधानिक शक्तियां होती हैं। [25] इस प्रकार की बहुवचन कार्यकारिणी, जापान , इज़राइल , इटली और स्वीडन में उपयोग की जाती है, जिसमें एक कॉलेजियम निकाय कार्यकारी शाखा की रचना करती है - हालाँकि, उस कॉलेजियम निकाय में चुनावों में चुने गए कई सदस्य शामिल नहीं होते हैं, बल्कि यह अधिक समान होता है गठन और संरचना में अमेरिकी कैबिनेट या यूके कैबिनेट ।

फ़िल्म में

एडम मैके द्वारा निर्देशित 2018 की जीवनी फिल्म वाइस में , एकात्मक कार्यकारी सिद्धांत को कुछ विस्तार से खोजा गया और नाटकीय रूप दिया गया है। उपराष्ट्रपति डिक चेनी , फिल्म का विषय, उनके वकील डेविड एडिंगटन , कानूनी परामर्शदाता कार्यालय में उप सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन यू और सहयोगी न्यायाधीश एंटोनिन स्कालिया सिद्धांत के विकास और प्रचार में प्रमुखता से शामिल हैं। उन्होंने इसे 2001 में शुरू हुई कार्यकारी शक्ति के विषय पर आधुनिक चर्चाओं के अग्रभूमि में ला दिया, जो पूरे बुश प्रशासन और उसके बाद भी जारी रही। इस कानूनी सिद्धांत के अनुप्रयोग में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के अभियोजन , इराक पर 2003 के अमेरिकी आक्रमण , ग्वांतानामो बे और अबू ग़रीब जैसी साइटों पर उन्नत पूछताछ तकनीकों के उपयोग और बड़े पैमाने पर निगरानी पर प्रभाव पड़ता है । कथा में इन पर प्रकाश डाला गया है।

परिणाम

संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। एक संघ में सरकार के दो स्तर होते हैं:

- एक है पूरे देश की सरकार जो सामान्य राष्ट्रीय हित के कुछ विषयों के लिए उत्तरदायक है।
- अन्य प्रांतों या राज्यों के स्तर पर सरकारें हैं जो अपने राज्य के प्रशासन के दिन-प्रतिदिन की अधिकांश देखभाल करती हैं।

इस के अर्थ में, संघों की तुलना एकात्मक राज्यों से की जाती है। एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या उप-इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती हैं। केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकार की अपनी शक्तियां होती हैं जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये दोनों सरकारें अलग-अलग लोगों के प्रति उत्तरदायी होती हैं।

संघवाद की विशेषताएँ

संघवाद की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. सरकार के दो या द्याधिक स्तर होते हैं।
2. कानून, कराधान और प्रशासन के सम्बन्ध में सरकार के विभिन्न स्तरों का अपना क्षेत्राधिकार है।
3. सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक प्रत्याभूति है।
4. संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन हेतु सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है।
5. संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्ति की व्याख्या करने के लिए न्यायालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णायक की भूमिका निभाता है यदि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच अपनी-अपनी शक्तियों के प्रयोग में विवाद उत्पन्न होता है।
6. सरकार की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु सरकार के प्रत्येक स्तर के राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
7. संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य हैं, अर्थात् देश की ऐक्य की रक्षा करना और उसकी वृद्धि करना और साथ ही यह क्षेत्रीय वैविध्य को भी समायोजित करना है।
8. सरकार की एक आदर्श संघीय प्रणाली में एक साथ रहने हेतु पारस्परिक विश्वास और सहमति होनी चाहिए।[1]

भारत : संघात्मक या एकात्मक

प्रधानत: भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपर्युक्त विशेषताएँ विद्यमान हैं। किंतु भारतीय संघात्मक संविधान में कुछ विशिष्ट प्राविधान है जिनका समावेश अन्य संविधानों के कार्यसंचालन से उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत करके किया गया है। भारत में संघवाद की व्यवस्था संघीय व्यवस्था है परंतु बेल्जियम तथा श्रीलंका में एकता आत्मक सरकार है बेल्जियम में वर्तमान में एकात्मक सरकार नहीं है परंतु 1995 के बाद या पहले 1998 के पहले सॉरी 1993 के पहले वहां पर बेल्जियम में एकात्मक सरकार थी परंतु वर्तमान में एकात्मक सरकार नहीं है और श्रीलंका में आज भी एकात्मक सरकार का उद्देश्य मिलता है

उदाहरणार्थ, सबसे विशिष्ट तथ्य यह है कि भारतीय संविधान संघात्मक हुए भी इसका निर्माण स्वतंत्र राष्ट्रों की किसी संविदा द्वारा नहीं हुआ है; बल्कि यह उन राज इकाइयों के मेल (यूनियन) से बना है जो परंतंत्र एकात्मक भारत के अंग के रूप में पहले से ही विद्यमान थे। दूसरी विशेषता यह है कि आपत्काल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित हैं। तृतीय विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता (भारतीय नागरिकता) का ही

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्यसंचालन के लिए व्यवस्थाएँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के मतानुसार भारत एक शिशु गणतंत्र की अवस्था में है, अत: देश के तीव्र एवं सर्वतोमुखी विकास एवं उन्नति के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके लिए संविधान संशोधन की तीन विभिन्न प्रक्रियाएँ दी गई हैं। केवल विशेष संघात्मक प्रावधानों के संशोधन के लिए ही राज्यों का मत आवश्यक है, बाकी संशोधन संसद् स्वयं कर सकती है। इस प्रकार संघात्मक संविधानों के विकास में भारतीय संविधान एक नई प्रवृत्ति, केंद्रीकरण, का सूत्रपात करता है।

निष्कर्ष

दोनों प्रकार की सरकारों में कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। एकात्मक और संघीय सरकार के बीच मुख्य अंतर यह है कि एकात्मक सरकार के मामले में, यह एक केंद्र सरकार में अपनी शक्ति लगाती है। दूसरी ओर, एक संघीय प्रणाली वह है जिसमें शासन को संघीय और स्थानीय शासन निकायों में विभाजित किया जाता है जो राष्ट्रीय सरकार से जुड़ते हैं।

संदर्भ

1. "भारतीय संघ व्यवस्था". मूल से 16 अक्तूबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 जून 2020.
2. होम्स, अर्बन टी. जूनियर और शुट्ज़, अलेक्जेंडर हरमन [जर्मन में] (1948)। फ्रेंच भाषा का इतिहास (संशोधित संस्करण)। कोलंबस, ओएच: हेरोल्ड एल. हेड्रिक। पी। 61.
3. ^ "लोकतंत्र" । संयुक्त राष्ट्र । 2015-11-20. 2021-02-13 को मूल से संग्रहीत । 2019-02-22 को लिया गया ।
4. ^ घई, यश; रेगन, एंथोनी जे. (सितंबर 2006)। "एकात्मक राज्य, हस्तांतरण, स्वायत्तता, अलगाव: बोगेनविले, पापुआ न्यू गिनी में राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण" । गोलमेज . 95 (386): 589-608। डीओआई : 10.1080/00358530600931178 । आईएसएसएन 0035-8533 . एस2सीआईडी 153980559 ।
5. ^ "एकात्मक राज्य क्या है?" . वर्ल्डएटलस । अगस्त 2017 . 2019-02-22 को लिया गया ।
6. ^ फॉल्कनब्रिज, गाइ; एल्सवर्थ, ब्रायन (2021-11-30)। "बारबाडोस ने गणतंत्र बनने के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को छोड़ दिया" । रॉयटर्स । 2021-11-30 को पुनः प्राप्त किया गया .
7. ^ ताइवान की राजनीतिक स्थिति , दो चीन और क्रॉस-स्ट्रेट संबंध भी देखें।
8. ^ "कहानी: राष्ट्र और सरकार - उपनिवेश से राष्ट्र तक" । न्यूज़ीलैंड का विश्वकोश । मनातु ताओंगा संस्कृति और विरासत मंत्रालय। 29 अगस्त 2013 । 19 अप्रैल 2014 को लिया गया .
9. ^ स्पिकर, पॉल (30 जून 2014)। "यूके में सामाजिक नीति" । सामाजिक नीति का परिचय . रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी - एबरडीन बिजनेस स्कूल। 4 जुलाई 2014 को मूल से संग्रहीत । 19 अप्रैल 2014 को लिया गया .
10. ^ गुल, अयाज़ (28 सितंबर 2021)। "तालिबान का कहना है कि वे अभी अफगानिस्तान को चलाने के लिए राजशाही संविधान के कुछ हिस्सों का उपयोग करेंगे" । अमेरिका की आवाज . इस्लामाबाद, पाकिस्तान । 21 अक्टूबर 2022 को लिया गया । तालिबान ने मंगलवार को कहा कि वे देश पर शासन करने के लिए अफगानिस्तान के 1964 के संविधान के अनुच्छेदों को अस्थायी रूप से लागू करने की योजना बना रहे हैं जो 'इस्लामी शरिया (कानून) के साथ संघर्ष में नहीं हैं।'
11. ^ "अफगानिस्तान का संविधान = असासी क़ानून (1964)" । नेब्रास्का-ओमाहा विश्वविद्यालय । 21 अक्टूबर 2022 को लिया गया । अफगानिस्तान एक संवैधानिक राजतंत्र है; एक स्वतंत्र, एकात्मक और अविभाज्य राज्य।
12. ^ जॉर्ज, सुज़ानाह (18 फरवरी 2021)। "तालिबान के अंदर एक धार्मिक अमीरात बनाने का अभियान" । वाशिंगटन पोस्ट । 19 फरवरी 2021 को पुनःप्राप्त .
13. "Preface, The constitution of India" (PDF). http://india.gov.in/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text. Government of India. मूल से 31 मार्च 2015 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 5 February 2015. |website= में बाहरी कड़ी (मदद)
14. ↑ "Introduction to Constitution of India". Ministry of Law and Justice of India. 29 July 2008. मूल से 22 अक्तूबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2008-10-14.
15. ↑ Das, Hari (2002). Political System of India. Anmol Publications. पृ॰ 120. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7488-690-7.
16. ↑ "The Constitution of India: Role of Dr. B.R. Ambedkar". मूल से 2 April 2015 को पुरालेखित.
17. ↑ "http://www.inbais.com/2021/02/article-1-to-395-in-hindi.html". मूल से 24 जून 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 जून 2021.
18. ↑ [https://www.drishtiias.com/gs-special/gs-special-polity/important-sources-of-the-indian-constitution]
19. ↑ Pylee, M.V. (1997). India's Constitution. S. Chand & Co. पृ॰ 3. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-219-0403-X.

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

20. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 11 मई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2016.
21. ↑ "भारत का संविधान (पूर्ण पाठ)". मूल से 25 दिसंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2016.
22. ↑ "दूसरी अनुसूची" (PDF). मूल (PDF) से 18 जनवरी 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 फरवरी 2016.

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |